कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)
Mailid-gclawjhalawar@gmail.com Ph No-07432-234533

क्रमांक 75 दिनांक- 02/07/2022

कार्यालय – आदेश

डॉ. रेनू गहलोत सहायक आचार्य विधि महाविद्यालय कि प्रार्थना पर द्वितीय जीवित संतान दिनांक 05.09.2022 को उत्पन्न होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103 के तहत दिनांक 02.07.2022 से 180 दिवस 28.12.2022 तक का मात्र अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

मातृत्व अवकाश का इन्द्राज सेवा पुस्तिका में पृथक लेखा संधारित करते हुये इन्द्राज किया जावें।

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
झालावाड़ (राज0)

क्रमांक: दिनांक:-

प्रतिलिपिः–

1. सहायक निर्देशक (एच.आर.डी.) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. डॉ. रेनू गहलोत सहायक आचार्य विधि
3. व्येक्तिगत पत्रावली/स्थापना शाखा

02/07/2022
प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
झालावाड़ (राज0)

राजकीय विधि महाविद्यालय ★ प्राचार्य ★ झालावाड़ (राज0)

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)

Mailid-gclawjhalawar@gmail.com Ph.No.-07432-294593

क्रमांक 261 दिनांक- 11/02/2023

कार्यालय – आदेश

डॉ. रेनू गहलोत सहायक आचार्य विधि महाविद्यालय झालावाड़ ने अपने द्वितीय संतान (यशस्वी धलवाल) कि देखभाल हेतु चाईल्ड केयर लिव का आवेदन-पत्र दिनांक 13.02.2023 से 27.02.2023 तक कुल 15 दिवस का पेश किए है। डॉ. रेनू गहलोत का वर्ष 2023 मे यह पहला आवेदन पत्र है। अतः डॉ. रेनू गहलोत के प्रार्थना –पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103 (सी) व वित्त विभाग के आदेश कमांक प. 1(8)वित्त/नियम/2011(आर.एस.आर. 27/2018) दिनांक 10.09.2018 एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के पत्र-कमांक – एफ1( )स्था/आकाशि/22/128 दिनांक 08.02.2023 अनुसरण में दिनांक 13.02.2023 से 27.02.2023 तक कुल 15 दिवस का चाईल्ड केयर लिव एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
झालावाड (राज0)

क्रमांक: 262-264 दिनांक:- 11/02/2023

प्रतिलिपि:-

1. सहायक निदेशक (एच.आर.डी.) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. डॉ. रेनू गहलोत सहायक आचार्य विधि
3. व्यक्तिगत पत्रावली/स्थापना शाखा

11/02/2023

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
झालावाड (राज0)

राजकीय विधि महाविद्यालय ★ प्राचार्य ★ झालावाड़ (राज0)

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, झालावाड़ (राज.)
Mailid-gclawjhalawar@gmail.com Ph.No. 07432-294593

क्रमांक: 339-A दिनांक- 13/07/2023

कार्यालय – आदेश

डॉ. रेनू महलोत सहायक आचार्य विधि महाविद्यालय झालावाड़ ने अपने द्वितीय संतान (सरोगेसी बच्चा) कि देखभाल हेतु चाईल्ड केयर लिव का आवेदन पत्र दिनांक 14.07.2023 से 28.07.2023 तक कुल 15 दिवस का पेश किया था। डॉ. रेनू महलोत का वर्ष 2023 में यह दूसरा आवेदन पत्र है। अतः डॉ. रेनू महलोत के प्रार्थना –पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103 (vii) व वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1(6)वित्त/नियम/2011(आर.एस.आर. 27/2018) दिनांक 10.09.2018 एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर के पत्र–क्रमांक – एफ1(2149)स्था/निकाशि/21/Rajkaj Ref no.: 4225484 दिनांक 11.07.2023 अनुसरण में दिनांक 14.07.2023 से 28.07.2023 तक कुल 15 दिवस का चाईल्ड केयर लिव एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

Sd/-
प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
झालावाड़ (राज0)
दिनांकः- 13/07/2023

क्रमांक: 339-A

प्रतिलिपिः–

1. सहायक निदेशक (एच.आर.डी.) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. डॉ. रेनू महलोत सहायक आचार्य विधि
3. व्यक्तिगत पत्रावली/स्थापना शाखा

Rakaj 13/07/2023
प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
झालावाड़ (राज0)

राजकीय विधि महाविद्यालय ★ Rakaj ★ प्राचार्य ★ झालावाड़ (राज0) ★